न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
13 / 2019 प्रा.पत्र / 2019	28.03.2019	21.03.2025

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स श्याम मिष्टान भण्डार बावडी बालाजी परिसर देवली जिला टोंक निवासी बस स्टैण्ड के पीछे ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक राज.। पिनकोड–304804

2–मैसर्स श्याम मिष्टान भण्डार बावडी बालाजी परिसर देवली जिला टोंक पिनकोड–304804

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 21/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2018 को समय 06:18 पी.एम. पर मैसर्स श्याम मिष्टान भण्डार बावडी बालाजी परिसर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्याम मिष्टान भण्डार बावडी बालाजी परिसर देवली जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विकेता होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु मावा, गुलाब जामुन, मिठाई आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ एल्युमिनियम की परात में लगभग 15–16 किलोग्राम **मावा (Khoya)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मावा (Khoya)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, एल्युमिनियम की परात में रखे लगभग 15–16 किलोग्राम **मावा (Khoya)** को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रूप कर उसमें से 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा (Khoya)** 1 किलोग्राम को चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर भरकर बतौर परीरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 20–20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर शिशियों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2038 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2038 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3140 दिनांक 14.12.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल. एस/2146/एक्ट/2018/1495 दिनांक 28.11.18 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा (Khoya)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध विक्रेता श्री शम्भू साहू पुत्र श्री कैलाश साहू द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 40(4) के तहत समयावधि में नमूना पुनः जांच हेतु

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदन करने पर उक्त नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रैफरल लैब फूड मैसूर कर्नाटक को भिजवाया गया। निदेशक रैफरल लैब फूड मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यू.सी.एल./19 एफ/2019 दिनांक 28.02.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा (Khoya)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा (Khoya)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा (Khoya)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हों। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक